अश्वमेध देवी
संसद सदस्य
(लोक सभा)
22, उजियारपुर
सदस्य :
- कृषि संबंधी समिति
- महिला सशक्तिकरण संबंधी समिति
- परामर्शदात्री समिति – राजमार्ग मंत्रालय

सत्यमेव जयते

17, नार्थ एवेन्यू,
नई दिल्ली-110 001
टेलीफैक्स: 011-23093201

ग्राम एवं पोस्ट मथुरापुर,
जिला समस्तीपुर, बिहार
मोबाइल : 9013180080
09431480577

18/11/2011

श्री डा0 मनमोहन सिंह जी
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार, नयी दिल्ली

विषयः <u>बायोटेक्नोलॉजी रेग्यूलेटरी अर्थारिटी ऑफ इंडिया बिल (BRAI Bill) 2011</u>

महाशय,

उपुर्यक्त विषयक कहना है कि संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में बी0आर0ए0आई0 बिल 2011 पेश होने जा रहा है। यहां यह बताना अति आवश्यक है कि जिस समय यह बिल पेश करने की तैयारी चल रही है, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल जैसे सात राज्य जैव परिवर्धित (जेनेटिकली मोडीफायड) फसलों के परीक्षण को मना कर चुके हैं तथा देश भर के कई पंचायत अपने आप को 'जी.एम. मुक्त पंचायत' घोषित कर चुके हैं। पिछले वर्ष प्रथम जी एम फसल बी टी बैगन पर देशव्यापी बहस को देखते हुए केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री ने सतर्कता बरती और वी.टी. बैगन पर रोक लगा दी। वह रोक भी मनुष्यों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को लेकर ही लगी थी।

कृषि राज्य का विषय है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि हमारा भोजन असुरक्षित होता जा रहा है। जी.एम. फसलों व खाद्यानों के आने से उनके जहरीले होने की संभावना बढ़ गयी है। अतः ऐसे कानून की जरूरत है जो लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा कर सके, न कि उससे उन पर खतरा उत्पन्न हो।

वर्तमान में पेश हो रहे इस बिल में अंकित कंडिकाओं और तथ्यों से कई मुद्दे उजागर हो रहे हैं, जैसे हमारी जैव सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, कृषि व स्वास्थ्य मामले में राज्य सरकारों के अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है, मूल्याकंन की कोई आवश्यकता नहीं रखी गयी है, लोकतांत्रिक कार्य शैली का अभाव हो रहा है, पारदर्शिता के लिए कोई व्यवस्था नहीं आदि और भी कई तथ्य हैं जिस पर विस्तार से समीक्षा और जन सुनवायी की आवश्यकता है।

अतः उपर्युक्त संदर्भ एवं तथ्यों से अवगत कराते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस बिल में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है एवं इसे विज्ञान एवं प्रदैद्यिगिकी मंत्रालय से हटाकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में रखा जाए और विभिन्न राज्य सरकारों की भी राय आमंत्रित की जाए।

विश्वासभाजन
अश्वमेध देवी
18/11/11
(अश्वमेध देवी)

उमाशंकर सिंह
संसद सदस्य (लोक सभा)
19, महाराजगंज
सदस्य स्थायी समिति रेल
सदस्य महिला शशक्तिकरण समिति
सदस्य परामर्शदात्री समिति पेट्रोलियम और
प्राकृतिक गैस मंत्रालय,
सदस्य युवक संबधी संसदीय मंच
सदस्य, संसदीय बाल मंच

सत्यमेव जयते

निवास : विन्धयवासिनि सदन
रोड़ न0-1, राजीव नगर पटना-24
16, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद रोड़,
नई दिल्ली-110001
फोन नं. : (011)-23350777
(011)-23352777

श्री शरद पवार जी,
माननीय कृषि मंत्री,
भारत सरकार, नयी दिल्ली

विषयः बायोटेक्नोलॉजी रेग्यूलेटरी अर्थारिटी ऑफ इंडिया बिल (BRAI Bill) 2011

महाशय,

उपुर्यक्त विषयक कहना है कि संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में बी0आर0ए0आई0 बिल 2011 पेश होने जा रहा है। यहां यह बताना अति आवश्यक है कि जिस समय यह बिल पेश करने की तैयारी चल रही है, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल जैसे सात राज्य जैव परिवर्धित (जेनेटिकली मोडीफायड) फसलों के परीक्षण को मना कर चुके हैं तथा देश भर के कई पंचायत अपने आप को 'जी.एम. मुक्त पंचायत' घोषित कर चुके हैं।

पिछले साल प्रथम जी.एम. खाद्य फसल 'बी.टी. बैगन' को वर्ष 2009 में केन्द्र सरकार की इकाई जी.ई.ए.सी. ने व्यायवसायिक खेती की अनुमति दी थी लेकिन इस विवादास्पद खाद्य फसल पर चली देशव्यापी बहस को देखते हुए केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री ने सतर्कता बरती और वी.टी. बैगन पर रोक लगा दी। वह रोक भी मनुष्यों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को लेकर ही लगी थी।

ऐसा लगता है कि हमें कृषि तकनीकों से जुड़ी बहस में शामिल होने की आवश्यक है, वह भी इस कारण कि ज्यादातर जमीन कृषि के अन्दर आती है और देश के ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी कृषि से जुड़ी है। कृषि राज्य का विषय है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि हमारा भोजन असुरक्षित होता जा रहा है। जी.एम. फसलों व खाद्यानों के आने से उनके जहरीले होने की संभावना बढ़ गयी है। अतः

उमाशंकर सिंह
संसद सदस्य (लोक सभा)

19, महाराजगंज
सदस्य स्थायी समिति रेल
सदस्य महिला शशक्तिकरण समिति
सदस्य परामर्शदात्री समिति पेट्रोलियम और
प्राकृतिक गैस मंत्रालय,
सदस्य युवक संबधी संसदीय मंच
सदस्य, संसदीय बाल मंच

सत्यमेव जयते

निवास : विन्धयवासिनि सदन
रोड़ न0-1, राजीव नगर पटना-24
16, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद रोड़,
नई दिल्ली-110001
फोन नं. : (011)-23350777
(011)-23352777

ऐसे कानून की जरूरत है जो लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा कर सके, न कि उससे उन पर खतरा उत्पन्न हो।

वर्तमान में पेश हो रहे इस बिल में अंकित कंडिकाओं और तथ्यों से कई मुद्दे उजागर हो रहे हैं, जैसे हमारी जैव सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, कृषि व स्वास्थ्य मामले में राज्य सरकारों के अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है, मूल्याकंन की कोई आवश्यकता नहीं रखी गयी है, लोकतांत्रिक कार्य शैली का अभाव हो रहा है, पारदर्शिता के लिए कोई व्यवस्था नहीं आदि और भी कई तथ्य हैं जिस पर विस्तार से समीक्षा और जन सुनवायी की आवश्यकता है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है यहां जैव विविधता पर भी हमारा ध्यानाकृष्ट होना चाहिए साथ ही देश भर के किसानों, नागरिकों एवं पर्यावरण को मद्देनजर रखते हुए इस बिल में आवश्यक संशोधन किए बगैर सदन में पेश होना देशहित में अनुकूल प्रतीत नहीं होता है। अतः आपसे अपेक्षा है कि अनुकूल कदम आपके द्वारा भी उठाये जायें ताकि देश के किसानों, नागरिकों एवं पर्यावरण की रक्षा हो सके।

विश्वासभाजन

19/11/11

उमाशंकर सिंह
संसद सदस्य (लोक सभा)
19, महाराजगंज
सदस्य स्थायी समिति रेल
सदस्य महिला शशक्तिकरण समिति
सदस्य परामर्शदात्री समिति पेट्रोलियम और
प्राकृतिक गैस मंत्रालय,
सदस्य युवक संबधी संसदीय मंच
सदस्य, संसदीय बाल मंच

सत्यमेव जयते

निवास : विन्धयवासिनि सदन
रोड़ न0-1, राजीव नगर पटना-24
16, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद रोड़,
नई दिल्ली-110001
फोन नं. : (011)-23350777
(011)-23352777

श्री डा0 मनमोहन सिंह जी
माननीय प्रधानमंत्री
भारत सरकार, नयी दिल्ली

विषयः <u>बायोटेक्नोलॉजी रेग्यूलेटरी अर्थारिटी ऑफ इंडिया बिल (BRAI Bill) 2011</u>

महाशय,

उपुर्यक्त विषयक कहना है कि संसद के वर्तमान शीतकालीन सत्र में बी0आर0ए0आई0 बिल 2011 पेश होने जा रहा है। यहां यह बताना अति आवश्यक है कि जिस समय यह बिल पेश करने की तैयारी चल रही है, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, ओडिशा एवं पश्चिम बंगाल जैसे सात राज्य जैव परिवर्धित (जेनेटिकली मोडीफायड) फसलों के परीक्षण को मना कर चुके हैं तथा देश भर के कई पंचायत अपने आप को 'जी.एम. मुक्त पंचायत' घोषित कर चुके हैं।

पिछले साल प्रथम जी.एम. खाद्य फसल 'बी.टी. बैगन' को वर्ष 2009 में केन्द्र सरकार की इकाई जी.ई.ए.सी. ने व्यायवसायिक खेती की अनुमति दी थी लेकिन इस विवादास्पद खाद्य फसल पर चली देशव्यापी बहस को देखते हुए केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री ने सतर्कता बरती और वी.टी. बैगन पर रोक लगा दी। वह रोक भी मनुष्यों के स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को लेकर ही लगी थी।

ऐसा लगता है कि हमें कृषि तकनीकों से जुड़ी बहस में शामिल होने की आवश्यक है, वह भी इस कारण कि ज्यादातर जमीन कृषि के अन्दर आती है और देश के ज्यादातर लोगों की रोजी रोटी कृषि से जुड़ी है। कृषि राज्य का विषय है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि हमारा भोजन असुरक्षित होता जा रहा है। जी.एम. फसलों व खाद्यानों के आने से उनके जहरीले होने की संभावना बढ़ गयी है। अतः

उमाशंकर सिंह
संसद सदस्य (लोक सभा)
19, महाराजगंज
सदस्य स्थायी समिति रेल
सदस्य महिला शशक्तिकरण समिति
सदस्य परामर्शदात्री समिति पेट्रोलियम और
प्राकृतिक गैस मंत्रालय,
सदस्य युवक संबधी संसदीय मंच
सदस्य, संसदीय बाल मंच

सत्यमेव जयते

निवास : विन्धयवासिनि सदन
रोड़ न0-1, राजीव नगर पटना-24
16, डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद रोड़,
नई दिल्ली-110001
फोन नं. : (011)-23350777
(011)-23352777

ऐसे कानून की जरूरत है जो लोगों के स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा कर सके, न कि उससे उन पर खतरा उत्पन्न हो।

वर्तमान में पेश हो रहे इस बिल में अंकित कंडिकाओं और तथ्यों से कई मुद्दे उजागर हो रहे हैं, जैसे हमारी जैव सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है, कृषि व स्वास्थ्य मामले में राज्य सरकारों के अधिकारों पर अतिक्रमण हो रहा है, मूल्याकंन की कोई आवश्यकता नहीं रखी गयी है, लोकतांत्रिक कार्य शैली का अभाव हो रहा है, पारदर्शिता के लिए कोई व्यवस्था नहीं आदि और भी कई तथ्य हैं जिस पर विस्तार से समीक्षा और जन सुनवायी की आवश्यकता है।

अतः उपर्युक्त संदर्भ एवं तथ्यों से अवगत कराते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस बिल में आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है एवं इसे विज्ञान एवं प्रदैद्यिगिकी मंत्रालय से हटाकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में रखा जाए और विभिन्न राज्य सरकारों की भी राय आमंत्रित की जाए।

विश्वासभाजन

19/11/11